40–(08)–26–2016

पटना में दिनांक–17 मई, 2016 मंगलवार को अपराह्न 04:00 बजे से हुई मंत्रिपरिषद् की बैठक की कार्यवाही। मुख्यमंत्री ने बैठक की अध्यक्षता की।

निम्नलिखित निर्णय लिये गये :–

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

1.	रोहतास जिलान्तर्गत दिनारा अंचल के मौजा–भलुनी, थाना नं०–68, खाता सं०–295 खेसरा सं०–2036, 2039 एवं 2037 रकबा–क्रमशः 16.51 एकड़, 13.13 एकड़ एवं 0.56 एकड़ कुल रकवा–30.20 एकड़ अनावाद सर्वसाधारण किस्म जंगल/करहा भूमि वन्य प्राणी (संरक्षण) अधिनियम की धारा–36 (सी०) एवं 36 (डी०) के अन्तर्गत संरक्षण आरक्ष (Conservation reserve) घोषित करने हेतु पर्यावरण एवं वन विभाग, बिहार को निःशुल्क अंतर्विभागीय स्थायी हस्तान्तरण के संबंध में।	1.	**स्वीकृत।**

राजस्व एवं भूमि सुधार विभाग

2.	बिहार अमीन संवर्ग (संशोधन) नियमावली, 2016 की स्वीकृति के संबंध में।	2.	**स्वीकृत।**

मंत्रिमंडल सचिवालय विभाग

3.	बिहार के मंत्री (वेतन एवं भत्ते) नियमावली–2006 के कंडिका 14 के उप कंडिका–(ख) के बाद एक नई उप कंडिका जोड़े जाने के संबंध में।	3.	**स्वीकृत।**

सामान्य प्रशासन विभाग

4.	बिहार लोक शिकायत निवारण अधिकार अधिनियम, 2015 के सफल क्रियान्वयन हेतु बिहार प्रशासनिक सेवा के उप सचिव स्तर के पे–बैण्ड रू० 15600–39100, ग्रेड पे० रू० 6600 में प्रत्येक विभाग में पदस्थापन हेतु सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना के अंतर्गत विभागीय लोक शिकायत निवारण पदाधिकारी के 55 पद एवं बिहार सचिवालय आशुलिपिक सेवा के पे बैंड रू० 5200–20800 ग्रेड पे० रू० 2400 में प्रत्येक विभागीय लोक शिकायत पदाधिकारी के कार्यालयों के लिए आशुलिपिक के 55 पद, कुल 110 पदों के स्थायी रूप से सृजन के संबंध में।	4.	**स्वीकृत।**